कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई.मेल:- mdnhmuk@gmail.comफोन / फैक्स 0135-2608646

पत्रांक–NHMUK/CONST/BPHU/2023-24/738

दिनांक– 02/07/2024

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।

महा प्रबन्धक
बिडकुल, देहरादून।

विषय– PM-ABHIM के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 की कार्य योजना में जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डीडीहाट में स्वीकृत BLOCK PUBLIC HEALTH UNIT के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश विषयक।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3) के शासनादेश संख्या 1788/XXVIII(3)/23-E-File-62672 दिनांक 20 नवम्वर 2023 का संज्ञान लेना चाहे जिसके द्वारा में वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 हेतु बिडकुल उत्तराखण्ड को PM-ABHIM मे जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत स्वीकृत BLOCK PUBLIC HEALTH UNIT के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था बिडकुल द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ के पत्रांक सं0– बी0पी0एच0यु0/आगणन/2023–.24/710 दिनांक– 21. 03.2024 के माध्यम से विषयगत प्रकरण हेतु निम्न निर्माण कार्य का प्राक्कलन/डी0पी0आर0 गठित कर समक्ष स्तर से टी0ए0सी0 के उपरान्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्राविधानों के सापेक्ष कार्यदायी संस्था बिडकुल द्वारा विभागीय टी0ए0सी0 के उपरान्त उपलब्ध कराये गये निम्न निर्माण कार्य पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्माण कार्य के सम्पादन एव धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

कम संख्या	कार्य का नाम	टी0ए0सी0 के उपरान्त निर्माण कार्य की लागत (लाख मे)	प्रस्तावित कार्य की अनुमोदित धनराशि (लाख मे)	प्रथम चरण मे निर्गत हेतु अनुमोदित धनराशि (लाख में)
1.	जनपद पिथौरागढ के अन्तर्गत ब्लॉक डीडीहाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीडीहाट में बी0पी0एच0 यु0 (ब्लाक पब्लिक हैल्थ यूनिट) का निर्माण कार्य (2023–24)	47.06	47.06	20.00
	कुल योग		47.06	20.00

उपरोक्त के कम में निम्न शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्त निर्माण कार्यो के सम्पादन एव धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

1. कार्य का एम0ओ0यू0 कार्यदायी संस्था बिडकुल के परियोजना प्रबन्धक एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ के मध्य वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर किया जायेगा।
2. कार्य की मॉनिटरिंग सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से नियमित रूप से की जायेगी। समय सम पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड एवं महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण स्तर से की जायेगी।

3. कार्य को करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण की जायेंगी तथा विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी प्रत्येक कार्य हेतु मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना के डिजाइन एवं ड्राइंग को सक्षम अधिकारी से विधिक्षित (VET) कराया जायेगा।
7. प्रत्येक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यो की स्ट्रक्चरल ड्राईंग एवं डिजाइन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय एवं कार्यदायी संस्था तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आगणन में उन्हीं मदों का समावेश करेगें, जो अपरीहार्य मदें हैं।
8. Reinforcement Steel की मात्रा Bar Bending Schedule के आधार पर आंकलित किया जाये तथा बचत के संबंध में प्रशासनिक विभाग को अवगत कराया जायेगा। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तारदायी होंगे।
9. निर्माण कार्य मे Structural एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जाय।
10. निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, रोड़ी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का निर्माण से पूर्व IS Code के अनुरूप समय–समय पर NABL प्रयोगशाला से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।
11. DIPHL / Block Public Health Unit हेतु Electrical Load के सम्बन्ध में सक्षम स्तर की विशेषज्ञ समिति से परीक्षण एवं अनुमोदन के उपरान्त ही विद्युत भार का निर्धारण किया जाय।
12. Electric Items जैसे – Switches, Wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath Fittings, Geyser, Water Tank, Pipes Toilet Items, Wood Items आदि क्रय Market Survey/डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर Brand Name निर्धारित कर लिया जाय।
13. DIPHL / Block Public Health Unit से सम्बन्धित सभी मानकों के अनुरूप भवन का निर्माण सुनिश्चित किया जाय।
14. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से शासन को अवगत करायेंगे।
15. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।
16. व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
17. सम्पूर्ण कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 (संशोधित नियमावली, 2019) के अनुरूप कराया जाये।
18. सुसंगत मद से एन0एच0एम0 को संगत घटक में अवमुक्त धनराशि से मिशन निदेशक द्वारा कार्य की प्रगति के दृष्टिगत तीन माह की आवश्यकता के अनुसार कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
19. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्य पर किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र GFR-12 पर समय–समय पर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned by CamScanner

20. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

21. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्य की प्रगति की जिला स्तर पर निरंतर समीक्षा करते हुए रिपोर्ट मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को प्रेषित की जायेगी तथा कार्यों को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय

02/03/24

(डॉ० आर० के० सिंह)

निदेशक

प्रतिलिपि– सूचनार्थ हेतु प्रेषित–

1–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।

2–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

3–जिला अधिकारी, पिथौरागढ ।

02/03/24

निदेशक